

न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड(म.प्र.)

(समक्ष:-मोहम्मद अज़हर)

विविध व्यवहार अपील क.31/16**संस्थित दिनांक-15.11.16**

1. सुनील शर्मा पुत्र शिवचरण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सिनौर तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

अपीलार्थी/प्रतिवादी कं. 02**विरुद्ध**

1. कमल किशोर पुत्र गनेशराम आयु 37 वर्ष,
2. विजय कुमार पुत्र रामदास आयु 33 वर्ष, समस्त जाति जाटव निवासीगण जामना रोड वार्ड क्रमांक 24 भिण्ड

प्रत्यर्थी/वादीगण

3. महावीर पुत्र हरिविलास आयु 22 वर्ष जाति जाटव निवासी ग्राम सिनौर तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी कं. 01

4. शीला देवी पुत्री मनीराम पत्नी रामगोपाल जाटव निवासी हाल ग्राम मकरेटा तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
5. राजावेटी बेवा पत्नी हरिविलास जाटव निवासी ग्राम सिनौर परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
6. श्रीमती लीला बाई पुत्र हरिविलास जाटव निवासी ग्राम गोवई पोस्ट बिल्हेटी जिला ग्वालियर म0प्र0
7. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर भिण्ड म0प्र0

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी कं. 03 लगायत 06**अपीलार्थी द्वारा श्री भूपेन्द्र कांकर अधिवक्ता।****प्रत्यर्थी कं0-01 व 02 द्वारा श्री दाताराम बंसल अधिवक्ता।****प्रत्यर्थी कं0-03 लगायत 06 द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता।****प्रत्यर्थी क्रमांक 07 अनु0, पूर्व से एकपक्षीय।****(आ दे श)**

(आज दिनांक 06.02.18 को पारित)

1. यह विविध सिविल अपील अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक 02 के द्वारा न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो, गोहद, जिला भिण्ड (श्री पंकज

शर्मा) के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 15ए/2016 उनवान कमल किशोर एवं अन्य बनाम महावीर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.10.2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 के द्वारा प्रत्यर्थी क्रं. 01 व 02/वादीगण का आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा-151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता (आई.ए. नंबर-01) स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रं. 01 तथा अपीलार्थी/प्रतिवादी क्र. 02 के विरुद्ध विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 294 रकवा 0.54 हेक्टे0 स्थित मौजा सिनौर परगना गोहद जिला भिण्ड के 1/3 भाग संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का आदेश किया गया है।

2. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी क्रं0 1 व 02/वादीगण के यह अभिवचन रहे हैं कि भूमि सर्वे क्रमांक 294 मिन रकवा 0.54 हेक्टे0 स्थित ग्राम सिनौर तहसील गोहद जिला भिण्ड के 1/3 भाग पर वादीगण भूमि स्वामी तथा आधिपत्यधारी हैं। उक्त भूमि प्रकरण में विवादित है जिसे आगे के पदों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जाएगा। वादीगण के यह अभिवचन रहे हैं कि विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 महावीर के बाबा मनीराम से दिनांक 29.01.13 को 1,35,800/-रुपए प्रतिफल देकर कय कर कब्जा प्राप्त किया था। तत्पश्चात मनीराम की मृत्यु हो जाने के बाद प्रतिवादी क्रमांक 01 महावीर ने विवादित भूमि का बयनामा छिपाते हुए तथा मनीराम की अन्य भूमि का अवैध रूप से नामांतरण करा लिया। दिनांक 24.06.14 को प्रतिवादी क्रमांक 01 ने विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 02 को अवैध रूप से विक्रय कर दी, जो कि वादी के हितों के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी है। दिनांक 25.06.15 को प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 ने वादीगण को विवादित भूमि से बेदखल करने की धमकी दी, तब राजस्व अभिलेख की तथा विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने तथा जानकारी होने पर वादीगण के द्वारा नामांतरण के विरुद्ध एस.डी.ओ. के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। वादीगण की ओर से विवादित भूमि के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी होने की तथा विक्रयपत्र दिनांक 24.06.14 को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किए जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई। वादीगण द्वारा आवेदन अंतर्गत आदेश 39

नियम 01 व 02 तथा धारा-151 जा0दी0 का प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के विरुद्ध विवादित भूमि में वादीगण के कब्जे में कोई बाधा उत्पन्न न करने और प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 द्वारा या अन्य किसी के द्वारा वादीगण के आधिपत्य में बाधा उत्पन्न न करने संबंधी अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई।

3. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 01 महावीर को विधिवत् तामील होने पश्चात वह प्रकरण की कार्यवाहियों में उपस्थित हुआ परंतु दिनांक 12.04.16 को वह प्रकरण की कार्यवाहियों में अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई का आदेश किया गया। उसकी ओर से कोई जवाबदावा या जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 02 की ओर से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करते वादीगण के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्युत्तर दिया गया और यह अभिवचन किया गया कि विवादित भूमि उसके द्वारा दिनांक 24.06.14 को क्रय की गई है और वही उस पर खेती कर रहा है। विवादित भूमि का बयानाम मनीराम के द्वारा वादीगण के पक्ष में कराए जाने की जानकारी उसे नहीं है। वादीगण विवादित भूमि के स्वामी व आधिपत्यधारी नहीं है। वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई। इन्हीं तथ्यों के वादीगण के आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा-151 जा0दी0 का लिखित उत्तर प्रतिवादी क्रमांक 02 की ओर से प्रस्तुत करते हुए आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

5. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 04, 05 एवं 06 की ओर से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करते हुए यह अभिवचन किया गया है कि विवादित भूमि के वे स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं क्योंकि प्रतिवादी क्रं.-04 शीलादेवी मनीराम की पुत्री है, राजाबेटी पूर्व मृत पुत्र हरिविलास की विधवा पत्नी होकर महावीर की पुत्रवधु है तथा लालीबाई हरिविलास की पुत्री है और जन्म के साथ ही उक्त भूमि में उन्हें हक प्राप्त हुए हैं। वे मनीराम के वारिस हैं। प्रतिवादी क्रमांक 01 महावीर को अकेल विक्रय या नामांतरण का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण क्रमांक 04 लगायत 06 मनीराम की सम्पत्ति में सहदायिक

है। महावीर के द्वारा अकेल से संव्यवहार यह अंतरण किए गए हैं वह निरस्ती योग्य है। आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा-151 जा0दी0 का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

6. प्रतिवादी क्रमांक 03 म0प्र0 शासन प्रकरण में एकपक्षीय हो गया, उसकी ओर से कोई जवाबदावा या आवेदन का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
7. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह मान्य किया गया कि विवादित भूमि को मनीराम के द्वारा वादीगण को विक्रय कर दिया था। इसलिए मनीराम को विवादित भूमि में कोई स्वत्व शेष नहीं रहता है। इस कारण प्रतिवादी क्रमांक 01 को भी कोई स्वत्व उत्पन्न नहीं होता है। मनीराम के अन्य उत्तराधिकारी उसकी पत्नी, पुत्री को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन तथा अपूर्तिनीय क्षति के बिन्दु वादीगण के पक्ष में मानते हुए, वादीगण का आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रं. 02 की ओर से यह विविध सिविल अपील की गई।
8. अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक 02 की ओर से अपनी अपील में प्रमुख आधार यह लिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.10.16 अवैधानिक होकर रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी विवादित भूमि के साथ-साथ अन्य भूमि सर्वे क्रमांक 100 रकवा 0.35 हेक्टे0 का सद्भावी क्रेता है। अपीलार्थी का कब्जा विवादित भूमि पर रहा है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तिनीय क्षति के बिन्दु वादीगण के पक्ष में नहीं है। विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त तथ्यों पर ध्यान न देते हुए वादीगण का आवेदन स्वीकार किए जाने में कानूनी भूल कारित की है। उक्त आधारों पर प्रत्यर्थी/वादीगण का आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 एवं धारा-151 जा0दी0 को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

9. प्रत्यर्थी/वादीगण की ओर से मौखिक रूप से तर्क करते हुए व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी को विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित रूप से विधिवत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

10. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन करने से इस विविध सिविल अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार हैं:-

क्या विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मूल व्यवहार वाद क्रमांक 15ए/16 में पारित आदेश दिनांक 14.10.16 स्थिर रखे जाने योग्य है अथवा उक्त आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार है ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

11. उभयपक्ष को सुने जाने एवं विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के मूल व्यवहार वाद के अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि प्रकरण में यह स्वीकृत है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 294 रकबा 0.54 हेक्टे0 का विक्रय मनीराम के द्वारा वादीगण के पक्ष में कर दिया था। तत्पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक 02 सुनील शर्मा के पक्ष में मनीराम के पौत्र महावीर के द्वारा अर्थात् मनीराम के पुत्र हरिविलास के पुत्र के द्वारा विवादित भूमि के साथ साथ अन्य भूमि सर्वे क्रमांक 100 रकबा 0.35 हेक्टे0 का विक्रय करते हुए विक्रयपत्र का निष्पादन किया है। दोनों के ही संबंध में किसी भी पक्ष की यह आपत्ति नहीं है कि उक्त विक्रयपत्र धोखे से कराए गए या मनीराम या महावीर के द्वारा विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए गए या विक्रयपत्रों का निष्पादन नहीं हुआ।

12. इस मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 06 प्रतिवादी की हैसियत से संयोजित नहीं थे। उन्हें बाद में प्रतिवादी की हैसियत से संयोजित किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 04 शीला देवी मनीराम की पुत्री है, प्रतिवादी क्रमांक 05

राजाबेटी मनीराम के मृत पुत्र हरिविलास की पत्नी है तथा प्रतिवादी क्रमांक 06 श्रीमती लाली बाई मनीराम के मृत पुत्र हरिविलास की पुत्री है। मनीराम एवं उसकी पत्नी रामरति की मृत्यु हो चुकी है। शीला देवी राजाबेटी एवं लाली बाई की ओर से ऐसा कोई राजस्व का दस्तावेज पेश नहीं किया है कि विवादित भूमि पुस्तैनी सम्पत्ति होकर जन्म से ही हरिविलास एवं शीला देवी को उसमें हक व अधिकार उत्पन्न हो चुके थे। प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों एवं विक्रयपत्रों के आधार पर प्रकट है कि उक्त भूमि मनीराम के नाम दर्ज थी। इस प्रकार मनीराम उक्त भूमि का स्वामी व आधिपत्यधारी था, जिसे अपनी भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था।

13. मनीराम के द्वारा विक्रयपत्र दिनांक 29.01.13 के माध्यम से विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 294 रकवा 0.54 हेक्टे0 में स्वयं का हिस्सा 1/3 अर्थात् रकवा 0.18 हेक्टे0 का विक्रय कर आधिपत्य प्रदान किया है। तत्पश्चात् मनीराम की मृत्यु के बाद उसके पौत्र के द्वारा उक्त भूमि तथा एक अन्य भूमि सर्वे क्रमांक 100 रकवा 0.35 हेक्टे0 दोनों में से 1/3 हिस्से का विक्रय प्रतिवादी क्रमांक 02 सुनील शर्मा के पक्ष में करते हुए दिनांक 24.06.15 को विक्रयपत्र का निष्पादन किया है। परंतु विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि उसी भूमि के संबंध में पश्चात् का विक्रय, पूर्व के विक्रय के अध्याधीन रहेगा अर्थात् मनीराम के द्वारा अपनी भूमि के विक्रय से और वादीगण को आधिपत्य प्रदान कर देने से उक्त भूमि में कोई स्वत्व व आधिपत्य नहीं रह गया था। ऐसी स्थिति में मनीराम के पुत्र हरिविलास को भी कोई स्वत्व उत्पन्न नहीं होता है और हरिविलास के पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 01 महावीर को कोई स्वत्व उत्पन्न नहीं होता है। इस कारण बिना स्वत्व के महावीर को विवादित भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था।

14. जहां तक कि प्रतिवादी क्रमांक 04, 05 एवं 06 का प्रश्न है, आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 एवं धारा-151 जा0दी0 में प्रतिवादी क्रमांक 04, 05 एवं 06 के विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाही गई है अर्थात् इस संबंध में आवेदन में वादीगण की ओर से कोई संशोधन नहीं किया गया है।

15. अतः विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोच्य आदेश के पैरा-09 में दिया गया यह निष्कर्ष विधि सम्मत् होना प्रकट होता है कि विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 अन्य उत्तराधिकारी रहते हुए विवादित भूमि पर प्रथम दृष्टि में स्वत्व व आधिपत्य नहीं रखता है, वादीगण ने विवादित भूमि पर विक्रयपत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया स्वत्व प्राप्त किया है।

16. इस प्रकार विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रत्यर्थी/वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित मानते हुए कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। इसी आधार पर सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तिनीय क्षति के बिन्दु वादीगण के पक्ष में मानते हुए कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण के आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 एवं धारा-151 जा0दी0 को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करके कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है।

17. अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 14.10.16 किसी त्रुटि से ग्रसित नहीं है। इस कारण उक्त आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त आदेश की पुष्टि की जाती है। यह विविध सिविल अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

18. इस अपील का व्यय उभयपक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

19. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

आदेश न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड